



निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 30 पटना, बुधवार, 5 श्रावण 1938 (श0)  
27 जुलाई 2016 (ई0)

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-25	
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	26-28	
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9—विज्ञापन	---	
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	29-48	
पूरक	---	
पूरक-क	49-50	

लेख्य प्रमाणक के नाम	आवासीय एवं व्यवसायिक पता	लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि ।	अहर्ता	जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
श्री प्रदीप कुमार झा	अधिवक्ता, नोटरी, नवगछिया अनु० न्याया०, जिला-भागलपुर।	13.06.2001	बी०ए०(प्रतिष्ठा) एल०एल०बी०	नवगछिया अनुमंडल	

(सं० सं०-ए०/नोट-32/97/3929/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

24 जून 2016

एस०ओ० 181, एस०ओ० 180, दिनांक 27 जुलाई 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सं०-ए०/नोट-32/97/3929/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

24<sup>th</sup> June 2016

S.O. 180 date 27<sup>th</sup> July 2016—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise **Shri Pradip Kumar Jha** and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. **2027/J dated 13.06.2001** to practice as notary again for the next five year from **13.06.2016**

Name of Notary	Residential/ professional address	Date of which the name of the Notary has been entered in the Register.	Qualification	Area in which Notary to practice	Remarks
1	2	3	4	5	6
Shri Pradip Kumar Jha	Advocate, Notary, Subdivisional Court, Navgachhiya, D-Bhagalpur	13.06.2001	B.A.(Hons) L.L.B	Navgachhiya Subdivision	

(File no. -A/Not-32/97/3929/J)

By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,  
Bihar. (Competent Authority)

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

6 जुलाई 2016

एस०ओ० 182 दिनांक 27 जुलाई 2016—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ — (1) यह नियमावली बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

- (2). इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
 (3). यह राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2005 के नियम 251(1) (i) का प्रतिस्थापन—उक्त नियमावली, 2005 के नियम 251(1)(i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :

“(i) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 60 के अधीन निर्गत निदेश के अनुसार जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा अध्यक्ष नामित नहीं किये जाते हैं तब तक सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पदेन अध्यक्ष होंगे।”

(सं० बी०सी०डब्लू०सी०-34 / 2016 श्रं०सं०-259)  
 बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
 अमरेन्द्र नारायण मिश्र, अवर सचिव।

6 जुलाई 2016

एस०ओ० 183, एस०ओ० 182, दिनांक 27 जुलाई 2016 का अंग्रेजी भाषा में लिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० बी०सी०डब्लू०सी०-34 / 2016 श्रं०सं०-259)  
 बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
 अमरेन्द्र नारायण मिश्र, अवर सचिव।

### The 6<sup>th</sup> June 2016

S.O. 182 date 27<sup>th</sup> July 2016—In exercise of powers conferred by Section -62 of the Building and other construction workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1996 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rule to amend The Bihar Building and other construction workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2005:-

1. Short title, extent and commencement- 1. These Rules will be called The Bihar Building and other construction workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Rules, 2016

2. It shall extend to the whole of the state of Bihar.

3. It shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2 Substitution of Rule 251 (1) (i) of the said Rules, of 2005 :- the 251 (1) (i) of the Said Rules shall be substituted by the The following:-

“(i) In accordance to the direction issued by the Ministry of Labour and Employment, Government of India under section 60 of The Building and other Construction Worker (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Secretary/Principal Secretary of Labour Resource Department, Government of Bihar will be ex officio Chairperson of The Bihar Building and Other construction workers welfare Board, Labour Resources Department, Bihar, Patna till The Chairperson is nominated by the central Government”.

(No.BCWC-34/2016-259)

By order of the Governor of Bihar,  
 Amarendra Narayan Mishra, UNDER SECRETARY.

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

29 जून 2016

सं० 15/औ०-14-09/16-703(15)—औषधि एवं अंगराम अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के नियम-59(1) तथा 67A(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधीन कार्यरत निम्नांकित अनुज्ञापन प्राधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ-5 उल्लेखित स्थान/स्थानों पर अपने ही वेतनमान में कार्यकारी सहायक औषधि नियंत्रण के रूप में कार्य करने हेतु स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है:-